07. प्रपत्र – 3 में संरक्षित वन के स्थान पर आरक्षित वन लेख किया गया है, जिसे सुधार किया जावे।

08. प्रस्तावित क्षेत्र 03 क्रमशः विकासखण्ड, बैकुण्ठपुर, सोनहत एवं खड़गवां अंतर्गत स्थित है, जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में बैकुण्ठपुर विकासखण्ड को छोड़ दिया गया है।

उक्त कमियों को तत्काल पूर्ण करते हुए निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक / तक.क. / 6975 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/8/ 2019

प्रतिलिपि :–

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

03. कलेक्टर जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

o/c

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक / तक.क. / 6974 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20 / 12 / 2019

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी ,टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड

वास्ते कार्यापालन अधिकारी

(आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक

प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर (छ0ग0)

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट" **(A part of Digital India)** के सफल कियान्वयन हेतु कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खड़गवां ब्लाक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग के सामान्तर वनभूमि 4.680 हे0 एवं राजस्व वनभूमि 0.066 हे0 कुल 4.746 हे0 पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण (चिप्स) रायपुर छ0ग0 को उपयोग पर देने बावत्। <u>पंजीयन कमांक - **FP/CG/OFC/42198/2019**</u>

संदर्भ :- 1. आपका पत्र कमांक / दिनॉक 07.12.2019

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक / भू-प्रबंध / विविध / एल एम-45-816 / 2747 दिनांक 05.11.2019

विषयान्तर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक - <u>**FP/CG/OFC/42198/2019**</u> के संदर्भ में इस कार्यालय को प्रस्तुत प्रकरण का परीक्षण करने पर निम्नांकित त्रुटियॉ सदृश्य हुई है ।

01. आरक्षित वन क्षेत्र को संरक्षित वनक्षेत्र बताया गया है ।
02. संरक्षित वन क्षेत्र को आरक्षित वनक्षेत्र बताया गया है ।
03. डी.जी.पी.एस.सर्वे अनुसार राजस्व वनक्षेत्र (छोटे-बड़े झाड़ मद की भूमि) 0.066 हे0 है, जबकि आपके द्वारा राजस्व विभाग (कलेक्टर) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.068 हे0 का लेख है ।
04. प्रस्तावित मार्ग को सर्वे ऑफ इंडिया एवं इन्डेक्स मैप्स वनमण्डल रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
05. प्रस्तावित क्षेत्र को मार्गवार / कक्षवार / क्षेत्रफलवार दर्शित किया जावे ।
06. प्रपत्र - 3 में वनखण्ड के नाम के स्थान पर ग्राम का नाम लेख किया गया है।